

## मेरठ शहर में महिलाओं की शिक्षा के बदलते आयाम और मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा का समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ० दीप्ति कौशिक \*, रूबीना खानम\*\*

\*एसो प्रो एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग,  
इस्मार्शल नेशनल महिला पी० जी० कालेज, मेरठ।

\*\*राजस्व लेखपाल अलीगढ़।

Email : [deeptikaushikmeerut@gmail.com](mailto:deeptikaushikmeerut@gmail.com)

### सारांश

प्रस्तुत लेख में मुस्लिम महिलाओं की उच्च शिक्षा को अपने अध्ययन का केन्द्र बनाया गया है, जिसमें समाज की मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा को अन्य सभी वर्गों की महिला शिक्षा के साथ उजागर करने का प्रयास किया गया है। भारत की आबादी में कुल 14.2 प्रतिशत के योगदान के साथ मुस्लिम महिलाएं समाज में अपनी आबादी का कितना प्रतिशत समाज कल्याण को शिक्षा के माध्यम से दे रही हैं। प्रस्तुत लेख में मुस्लिम महिलाओं के शिक्षा के स्तर को रोजगार और समाज कल्याण से जोड़ा गया है जो कि समाज की मुस्लिम महिलाओं की स्थिति और शैक्षिक पिछड़ेपन को दर्शाता है।

**मुख्य बिन्दु**— मुस्लिम महिलाओं की शैक्षिक स्थिति, धार्मिक शिक्षा, शरियत कानून, समाज कल्याण।

### प्रस्तावना

मानव समाज के निर्माण और विकास के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण ज्ञान और जागरूकता एवं चेतना का बुनियादी महत्व है। शिक्षा यानि जिन्दगी गुज़ारने के लिए बुनियादी गुणों की चेतना, और प्रशिक्षण यानि परवरिश करना अच्छी आदतें यानि नैतिकता के फायदे सिखाना और बुरी नैतिकता से बचाना और बच्चों में खुदा का डर पैदा करना, इसलिए शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों का इस्लाम में बहुत महत्व है। शरीयत—ए—इस्लाम में मर्द व औरत दोनों को समान अधिकार व कर्तव्य दिए हैं और दोनों ही अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं क्योंकि महिलाएं समाज का आधा हिस्सा हैं इसलिए इस वर्ग की शिक्षा और प्रशिक्षण समाज के सुधार और कल्याण के लिए बेहद जरूरी है। पैगम्बर हजरत मौहम्मद स० अ० व० पर जो पहली वही नाज़िल हुई उसकी शुरुआत ही शब्द इकरा यानि पढ़ो से हुई। मुस्लिम धर्म की पवित्र किताब कुरान में यहां तक की किसी भी हदीस शरीफ में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जो औरत को शिक्षा से वंचित रखे या पुरुषों के बराबर शिक्षा ना मिलने दे। वैसे सभी धर्मों के नियमों पर पुरुष प्रधानता हावी है लेकिन फिर भी मुस्लिम धर्म में यह इस कदर

मेरठ शहर में महिलाओं की शिक्षा के बदलते आयाम और मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा का समाजशास्त्रीय अध्ययन

छाई हुई है कि मुस्लिम औरतों के अधिकारों के लिए कोई आगे ही नहीं आना चाहता। औरत और मर्द के बीच शिक्षा, व्यवसाय, सामाजिक गतिशीलता आदि का भेदभाव मुस्लिम धर्म में अधिक है। सम्पूर्ण मुस्लिम धर्म से 10 या 15 प्रतिशत लोगो को छोड़कर आज भी मुस्लिम महिलाएं अपने बुनियादी अधिकारों के लिए तरस रही है। मुस्लिम महिलाएं अधिकतर ऐसी है जो या तो अशिक्षित है या धार्मिक और पारम्परिक शिक्षा के आधार पर ही अपना जीवन गुज़ार रही है, यह एक कटु सत्य है जिसे जितना भी झुठलाया जाए किन्तु यह साफ साफ दिखता है। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जहां दीनी तालीम को आज भी दुनिया की तालीम से बेहतर माना जाता है। हर सवाल का जवाब हदीस शरीफ और शरियत ए कानून से निकाला जाता है और ये सारी बातें मुस्लिम समाज पर इस कदर हावी है कि अपने अधिकारों के लिए भारत के संविधान की ओर इनका ध्यान ही नहीं जाता, जिसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। मुस्लिम शिक्षा पर बड़े पैमाने पर अध्ययन विस्तारित करने की आवश्यकता है। यद्यपि अंग्रेजी, उर्दू और अन्य भाषाओं में लिखी गई मुस्लिम शिक्षा पर कई किताबें, शोध पत्र और लेख है लेकिन उनमें विशेष रूप से यह जांच नहीं की गई कि मुस्लिम शिक्षा में बहुत पिछड़े है या नहीं। गहराई में जाने से पहले मेरठ शहर में मुस्लिम महिलाओं के शैक्षिक पिछड़ेपन का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया, जिससे मुस्लिम महिलाओं की शैक्षिक स्थिति को दर्शाया जा सके। शोधकर्ता ने किताबों, पत्रिकाओं, रिपोर्टों लेख और साक्षात्कार सम्मेलनों की कार्यवाहियों की समीक्षा की और पत्रिकाओं से साहित्य की समीक्षा के लिए एकत्रित डाटा तथा सच्वर समीति की रिपोर्ट इत्यादी की समीक्षा की है।

फहीमुद्दीन – “मॉडरनाइजेशन ऑफ मुस्लिम ऐजुकेशन इन इण्डिया” 2004 (पेज नं0-42) एवंसरल झिंगारन– “मदरसा ऐजुकेशन इन मॉर्डन इण्डिया : ए स्टडी,, 2012 (पेज नं0-43)में कहा है कि –मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में मदरसों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लेकिन इन मदरसों ने बच्चों को दीनी तालीम तो दे दी परन्तु उन्हें आधुनिक समाज की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए तैयार नहीं किया। यही कारण है कि मदरसों की शिक्षा पर सवाल उठाए जाते हैं और सरकार द्वारा बार-बार उनकी जांच के आदेश दिए जाते हैं। मदरसों को भारत में गरीब मुसलमानों की बड़ी संख्या में शिक्षा के मुख्य तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा गया है लेकिन अफसोस की बात है कि मदरसों की शिक्षा और आधुनिक शिक्षा में बहुत अन्तर है। मदरसों को आमतौर पर एक धार्मिक विद्यालय की नज़र से देखा जाता है, इन विद्यालयों में वही लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं जो या तो बहुत गरीब होते हैं या फिर अपने बच्चों को इस्लाम का पूरा ज्ञान देना चाहते हैं। इनके विषयों में उर्दू के साथ-साथ सभी इस्लामिक धर्म से सम्बन्धित पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं और सभी उम्र के छात्र एक साथ पढ़ते हैं। इसी के चलते मदरसों की परस्थिति अधिक अच्छी नहीं है और मदरसों के आधुनिकीकरण की बात की जाती है। जिससे दीनी तालीम के साथ-2 आधुनिक शिक्षा का भी विस्तार हो।

पी0एच0 डी0 शोधार्थी अंजुम ने अपने लेख “मुस्लिम परिवारों में” स्त्री शिक्षा –में कहा है कि यदि हम इस्लाम धर्म के मौलिक सिद्धांतों की नारीवादी नज़रिए से समीक्षा करें तो कुरान

और हदीस की ऐसी कई आयतें हैं जिनमें स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिए गए हैं। विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में हदीस की आयत है जिसमें शिक्षा के महत्व को इस प्रकार बताया गया है – “तलबुल इल्म फरीजतनु अलाकुल्ली अलमुस्लिम व मुस्लिमा” इस आयत के माध्यम से हजरत मौहम्मद साहब ने बताया कि तालीम हर मर्द और औरत के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन मुस्लिम समाज ने इस ज्ञान को केवल धार्मिक ज्ञान से जोड़ दिया और विडम्बना तो यह है कि उस धार्मिक शिक्षा में भी मर्द और औरत की शिक्षा में बहुत अन्तर है।

जोया हसन : Unequal Citizens (2006) में कहा है कि मुस्लिम समाज में धर्म का सहारा लेकर महिलाओं की शिक्षा के अधिकार को छीना जाता है मुस्लिम औरत का हिन्दुस्तान में नहीं पढ़ पाने का मुख्य कारण गरीबी है, धर्म और पर्दा इतना बड़ा कारण नहीं। समाजिक और आर्थिक पहलुओं को नजरअंदाज करके मुस्लिम औरत की स्थिति को ठीक से नहीं समझा जा सकता। तस्लीमा नसरीन एवं नासिरा शर्मा – बदलाव बिना मुक्ति नहीं (2018) अपने लेख में कहा है कि भारत के लोग किसी भी प्रकार के कानून में कोई बदलाव नहीं चाहते। आप किसी भी सभ्य देश में देखिए, वहाँ सबके लिए एक कानून है, इसलिए समानता पर आधारित कानून की आवश्यकता है। धार्मिक कानूनों में महिलाएं परेशानी उठाती हैं। महिलाओं को समानता प्राप्त नहीं होती। हमें अपने समाज को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। हमें समानता पर आधारित कानून की आवश्यकता है। तस्लीमा नसरीन ने पुरानी पीढ़ी के रीति-रिवाजों और नई पीढ़ी के बीच के समझदारी के टकराव को इस प्रकार व्यक्त किया है कि –यह टकराव धर्मनिरपेक्षतावादियों और रूढ़िवादियों के बीच, नए विचारों और पुराने रीति-रिवाजों के बीच, समझदार, तार्किक और अज्ञानी अंध-विश्वासों के बीच, जो आगे आना चाहते हैं और जो समय से पीछे जाना चाहते हैं ऐसे लोगों के बीच है। प्रस्तुत शोध को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा पर धार्मिक भागीदारी की स्थिति के सम्बन्धों का पता लगाने के लिए तैयार किया गया है। अध्ययन में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीकों का प्रयोग किया गया है। वर्तमान अध्ययन के लिए नमूने का चयन उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के क्षेत्र जाकिर कॉलोनी (जो कि मुस्लिम बहुलता वाला क्षेत्र है) की मुस्लिम महिलाओं से किया गया है। उत्तरदाताओं को यादृच्छिक तरीके से चुना गया है। प्रतिनिधि में 300 मुस्लिम महिला उत्तरदाता शामिल हैं। बेरोजगार से लेकर कामकाजी महिलाएं शामिल हैं। पूर्व गहन साक्षात्कार के सम्बन्ध में प्रयोग किया गया। मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत में हिस्सा हिन्दु जनसंख्या से कम है और उनमें पढ़ी लिखी मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत और भी कम है। मुस्लिम महिलाओं के शिक्षा के स्तर को दो समूहों से तुलना करके समझा जा सकता है – मुस्लिम समाज में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति को जानकर तथा हिन्दु एवं मुस्लिम महिलाओं की शैक्षिक स्थिति की तुलना करने पर। मौटे तौर पर हम देखें तो भारत की आबादी में 18 करोड़ मुसलमान हैं जो कि देश की आबादी का 14.88 प्रतिशत है और इस 18 करोड़ की आधी आबादी यानि मुस्लिम औरतों का लगभग 80 प्रतिशत शिक्षा, आर्थिक स्तर से लेकर सामाजिक और पारिवारिक तथा स्वावलम्बन के मामले में बदतर हालत में है।

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर 53.7% है जिनमें से अधिकांश महिलाएं केवल अक्षर ज्ञान तक ही सीमित है। मुस्लिम महिलाओं की वर्तमान सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और शिक्षा को परिभाषित करने के उद्देश्य से हमने मेरठ जिले की शहरी तथा ग्रामीण महिलाओं की स्थिति से मुस्लिम महिलाओं की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण किया है। आंकड़ों के विभिन्न स्रोत विभिन्न प्रकार की जानकारी देते हैं, क्योंकि उद्देश्य मेरठ की मुस्लिम महिलाओं की स्थिति का आकलन करना था इसलिए नमूना भी मुस्लिम आबादी पर आधारित है।

2011 की जनगणना के अनुसार मेरठ जिले की कुल आबादी 3443689 है। मेरठ की आबादी का हिन्दु धर्म 63.40% जबकि मुस्लिम धर्म 34.43% है। इस 34.43% में 52% पुरुष तथा 48% महिलाएं हैं। आबादी का 51.08% ग्रामीण तथा 48.92% शहरी है। मुस्लिम आबादी की एक बड़ी संख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है इसलिए शहरी आबादी के मुस्लिम क्षेत्रों को नमूना तथा सूचना ग्रहण का केन्द्र माना है जिनमें मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा, व्यवसाय, अशिक्षित होने के कारण तथा अधिकारों के प्रति जागरूकता को इंगित किया गया है। सर्वप्रथम मेरठ जिले की साक्षरता को निम्न ग्राफ द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है –

साक्षरता दर	72.84%
पुरुष साक्षरता	80.74%
महिला साक्षरता	63.98%
शहरी साक्षरता	64.73%
ग्रामीण साक्षरता	70.75%
महिला शहरी साक्षरता	43.12%
महिला ग्रामीण साक्षरता	59.41%

प्रत्येक शोध कार्य में कुछ उद्देश्य होते हैं जिसके बिना कोई शोध कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के आधार पर मुस्लिम महिलाओं की विभिन्न पहलुओं पर उनकी स्थिति का पता लगाना है जैसे –

मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक आर्थिक स्थिति के बीच सम्बन्ध, शिक्षा और रोजगार के बीच सम्बन्धों का अध्ययन, शिक्षा और वैवाहिक स्थिति के बीच सम्बन्धों का अध्ययन, शिक्षा और परिवार नियोजन के बीच सम्बन्धों का अध्ययन, शिक्षा छोड़ने का कारण या अशिक्षित होने के कारण जानने का अध्ययन।

**सारणी – 01**

क्र.सं0	शैक्षिक स्थिति	सूचनादाता	प्रतिशत
	अशिक्षित	41	13.6%
1.	कक्षा 1-8	80	26.6%
2.	कक्षा 09-10	72	24.0%
3.	कक्षा 11-12	52	10.6%
4.	स्नातक	32	5.0%
5.	परास्नातक	15	2.6%
1.	अन्य उच्च स्तर के डिप्लोमा / डिग्री	8	2.6%
	कुल	300	100%

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि क्षेत्र की 13% महिलाएँ कभी विद्यालय गई ही नहीं तथा 50% महिलाओं की शिक्षा कक्षा 01 से कक्षा 10 तक ही हो पाई जो कि आधुनिक भारत व विकास के क्षेत्र में काफी पिछड़ेपन को दर्शाता है मात्र 15% महिलाएँ ही उच्च शिक्षित पाई गई जिससे ज्ञात होता है कि मुस्लिम महिलाएँ अभी भी विकास में बहुत पीछे हैं।

**सारणी – 02**

**शिक्षा छोड़ने के कारण का विश्लेषण**

क्र.सं0.	कारण	सूचनादाता	प्रतिशत
1.	आर्थिक स्थिति के कारण	56	22.85%
2.	कम आयु में विवाह के कारण	28	11.42%
3.	प्राथमिक शिक्षा को ही लड़कियों के लिए बेहतर मानने की सोच के कारण	70	28.57%
4.	धार्मिक हस्तक्षेप के कारण	74	30.20%
5.	अन्य कारण	17	41%
	योग	245	100

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र में लड़कियों को उच्च शिक्षित करने का मतलब नौकरी कराने से है और मुस्लिम में अधिकतर परिवार महिलाओं से नौकरी कराने के पक्ष में नहीं होते चाहे इसे धार्मिक हस्तक्षेप माने या फिर लड़की के परिवार पर उनके विवाह की जिम्मेदारी। क्षेत्र में लगभग 42% सूचनादाता ऐसे ही पाए गए जिन्होंने या तो धार्मिक हस्तक्षेप के कारण महिलाओं के लिए उर्दू और अरबी का ज्ञान जरूरी समझा या कम आयु में विवाह के कारण उच्च शिक्षा तक पहुंचने नहीं दिया। क्षेत्र में लगभग 23% महिलाओं ने आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा छोड़ दी। उनके अतिरिक्त 28% तथ्य ऐसे भी सामने आए जिनमें केवल प्राथमिक

शिक्षा को ही सही बताकर महिलाओं को प्राथमिक स्तर से आगे आने ही नहीं दिया, जिसका ना कोई कारण था और ना ही आर्थिक स्थिति की वजह।

### सारणी – 3

प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा प्राप्त लड़कियों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा का विश्लेषण

क्र.सं0	उच्च शिक्षा की इच्छा	सूचनादाता	प्रतिशत
1.	हाँ	153	62.44%
2.	नहीं	92	37.55%
3.	कुल	245	100

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र की ऐसी मुस्लिम महिलाएँ जो किन्हीं कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई है, उच्च शिक्षा की इच्छुक है।

### सारणी – 4

मुस्लिम महिलाओं में रोजगार के स्तर विश्लेषण –

क्र.सं0	रोजगार का स्तर	सूचनादाता	प्रतिशत
1.	कुटीर उद्योग	87	20%
2.	नौकरी	35	11.6%
3.	स्व0 रोजगार	10	3.3%
4.	बेरोजगार	168	56%
	कुल	300	100

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि मुस्लिम महिलाओं में बेरोजगारी की दर नौकरी पेशा और स्व रोजगार महिलाओं की अपेक्षा बहुत अधिक है बेरोजगारी का सीधा सम्बन्ध शिक्षा की पिछड़ेपन की स्थिति को दर्शाता है।

### सारणी – 5

मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के प्रति जिज्ञासा का विश्लेषण

क्र.सं0	अधिकारों के प्रति जिज्ञासा	सूचनादाता	प्रतिशत
1.	हाँ	86	28.6%
2.	नहीं	214	71.33%
3.	कुल	300	100

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि मुस्लिम महिलाओं की संख्या का एक बड़ा हिस्सा अपने अधिकारों को समझने में सक्षम नहीं है, इसी कारण आधुनिक समाज में शिक्षा के महत्व को समझते हुए भी उनमें शिक्षा का विस्तार नहीं हो पा रहा है।

वर्तमान शोध का उद्देश्य मेरठ जिले में मुस्लिम महिलाओं के शिक्षित सशक्तिकरण के प्रभाव का निर्धारण करना है। अध्ययन करने से पता चलता है कि मुस्लिम महिलाओं में रोजगार, अधिकार, परिवार नियोजन और शिक्षा में एक बड़ा अन्तर है। भारतीय संविधान नागरिकों की समानता, भाषा, धर्म और संस्कृति में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षित करने और आश्वस्त करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने किसी धर्म के आधार पर शिक्षा का क्षेत्र निर्धारित किया हो बल्कि मुस्लिम परिवार स्वयं ही अपनी महिलाओं

के विकास, स्वतंत्रता और शिक्षा को महत्व नहीं देता। मुस्लिम समाज आधुनिक शिक्षा के महत्व को जानते हुए भी अन्देखा करता है। मुस्लिम महिलाएं समाज के साथ आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रही है मगर यह अनुपात सम्पूर्ण महिलाओं की संख्या में बहुत कम है। अध्ययन में मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा में अन्तर के साथ-साथ एक यह भी तथ्य सामने आया कि शिक्षा प्राप्ति के मामले में मुस्लिम समूहों में मतभेद भी है। जहाँ महिलाओं की माध्यमिक शिक्षा के लिए तो सभी तैयार हैं लेकिन वहीं उच्च शिक्षा के लिए आपस में मतभेद हैं। आंकड़े मुस्लिम महिलाओं की वंचित शैक्षिक स्थिति की पुष्टि करते हैं। अधिक शिक्षा ना होने के कारण ही मुसलमानों की आर्थिक व्यवस्था भी मजदूरी और अन्य शारीरिक कार्यों से जुड़ी हुयी है, जिसके चलते गतिशीलता भी धीमी है। अपने अध्ययन में हमने पाया कि मुसलमानों जैसे आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए शिक्षा गतिशीलता का सबसे आशाजनक साधन होगा। मुस्लिम महिलाओं की शैक्षिक स्थिति पर ध्यान दे तो हम पाते हैं कि मुस्लिम महिलाएं अपने पुरुष समकक्षों और अन्य सभी समुदायों की महिलाओं से पीछे हैं। यह सत्य है कि मुस्लिम महिलाओं को अभी तक शिक्षा का वह अधिकार नहीं मिल पाया है जिससे वह समाज में अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें। शिक्षा के अभाव में ही मुस्लिम समुदाय सबसे अलग नजर आता है। यह भी सत्य है कि यह वर्ग परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम का हिस्सा बनने से भी कतराते हैं। मुस्लिम महिलाओं को विकास में शामिल करने के लिए नव-प्रवर्तन की आवश्यकता है। आरक्षण की नीति के माध्यम से सामाजिक सामवेश का प्रयास किया गया जो अल्पसंख्यकों का उत्थान करने में विफल रहा। शिक्षित मुस्लिम वर्ग मुसलमानों की शिक्षा के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाता जिसके कारण शिक्षा के प्रति जागरूकता का विस्तार नहीं हो पाता। मुस्लिम परिवार के साक्ष्य इस बात को दर्शाते हैं कि लड़कियों के विशेषाधिकार लड़कों की आपेक्षा कम है। शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी स्तर से जूनियर स्तर तक पहुंचते ही इनकी विद्यालयों में उपस्थिति लगातार घटने लगती है। आधुनिक समाज में भी मुस्लिम समाज महिलाओं की शिक्षा के महत्व से बेखबर है। मुस्लिम समाज में महिलाओं की शिक्षा का दायरा एक प्रकार से धार्मिक इस्लामी शिक्षा और उर्दू भाषा तक सीमित है जो उन्हें शिक्षित तो बनाता है लेकिन 21वीं सदी के भारत में रूढ़िवादी समाज से लड़ने और महिलाओं के विकास का प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम नहीं बनाता। इसलिए यह आवश्यक है कि मुस्लिम महिलाओं में आधुनिक शिक्षा के प्रति जागरूकता का विस्तार किया जाए, क्योंकि यह बात सत्य है कि जब-जब औरत ने किसी कार्य क्षेत्र में कदम रखा है तब तब उसके कार्य को सराहा गया है, फिर क्यों औरत को उस शिक्षा से वंचित रखा जाता है जो उसके लिए उपयोगी है यह कमी मुस्लिम परिवार की और मार्गदर्शन करने वालों की होती है जो एक स्त्री को हमेशा दोगम दर्जे की समझते हैं और जब तक परिवार बेटी के विकास को प्रोत्साहित नहीं करेगा तब तक समाज, राज्य या सरकार कुछ नहीं कर पाएगी।

#### सन्दर्भ ग्रंथ

- 1 अंजुम (पी0एच0डी0 शोधार्थी) *मुस्लिम परिवारों में स्त्री शिक्षा*, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली।

मेरठ शहर में महिलाओं की शिक्षा के बदलते आयाम और मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा का समाजशास्त्रीय अध्ययन  
1140 Available at: <http://shodhmanthan.anubooks.com/> <https://doi.org/10.31995/shodhmanthan>

- 2 चौहान अंजना- "मुस्लिम महिलाओं की शोधनीय शैक्षिक स्थिति" Media Released – Dainik Tribune जनगणना – 2011
- 3 नसरीन तसलीमा एवं शर्मा नासिरा, – "बदलाव बिना मुक्ति नहीं" अमर उजाला, 21 जनवरी 2018 रिपोर्ट– सच्चर कमेटी
- 4 Agrawal, Mamta – "*Education and Modernization : A Study of Hindu and Muslim Women*" Eduresearch Publication, 1986.
- 5 Alvi, Batool Suraiyya – "*Importance of female Education*" Newage Islamicom 29 Nov 2013.
- 6 Educational Status of muslim women in India : An overview Fahimuddin - "*Maodernization of Muslim Education in India*" Adhyayan Publishers and Distributors, 2004
- 7 Hasan Zoya, Menon Ritu, "*Unequal Citizens : A Study of Muslim Women in India*" Oup India, 2006.
- 8 Jhingran, Saral- "*Madrassa Education in Modern India : A Study*" Manohar Publishers and Distributors, 2010.